न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :–7 / 2019

अपीलान्ट	बनाम	उतरदातागण
कमलादेवी पुत्र गणेशसिंह, कौम पुरोहित, नि0 लंगेरा, तह0 व जिला बाडमेर		1. ग्राम पंचायत गूंगा जरिये सरपंच 2. ग्राम पंचायत बीसुकला जरिये सरपंच 3. श्रवणसिंह पुत्र सरूपसिह 4. अनोपसिंह पुत्र सरूपसिह 5. जुंजारसिह पुत्र सरूपसिह 6. मुकेशसिह पुत्र सरूपसिह 7. सायरकंवर पत्नी सगतसिंह 8. मिसरोदेवी पत्नी सरूपसिंह 9. उदयसिह पुत्र चांदसिंह 10. मंगलसिह पुत्र बागसिह 11. समधादेवी पत्नी बागसिह 12. इन्द्रसिह पुत्र सरदारसिह जाति–पुरोहित, नि0 लंगेरा

उपस्थित :–

1. श्री बृजमोहन कुमावत एडवोकेट अपीलान्ट।
2. उतरदाता संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।
3. उतरदातागण संख्या 3 से 12 स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांकः 14.11.2019

संक्षेप्त मे अपील के तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट गुणेशसिंह पुत्र सिरदारसिह की जाईन्दा पत्नी / वारिश है। अपलीन्ट व उतरदाता संख्या 3 से 12 की संयुक्त खातेदारी के खेत पूर्व ग्राम बीसुखुर्द तहसील शिव से बने नये ग्राम प्रतापनगर के खेत खसरा नम्बर 15 व 18 बीघा रकबा कमशः 103.03, 46.13 बीघा कुल रकबा 149.16 बीघा के आये हुए है। अपीलाधीन आराजी के खातेदार स्वरूपसिह चांदसिंह बागसिह इन्द्रसिह गुणेशसिह पिसरान सरदारसिंह थे। जिसमें 1/5 हिस्से के खातेदार गुणेशसिह पुत्र सरदारसिंह की फौतगी का हल्का पटवारी द्वारा विरासत के नामान्तकरण संख्या 79 को भरते वक्त अपीलान्ट का नाम छोडकर उनके सगे भाईयों कमशः स्वरूपसिंह चांदसिह बागसिह इन्द्रसिंह पिसरान् सरदारसिंह को मृतक गुणेशसिंह के वारिश मानते हुए भर दिया जो गलत एवं विधि विरूध होने से निरस्त किया जावे। जिसका ज्ञान अपीलान्ट राज्य सरकार द्वारा से मिलने वाले कृषि आदान अनुदान को लेने के लिये बैंक खाता की पास बुक व आधार कार्ड की प्रति हल्का पटवारी को देने दिनांक 20.02.2019 को गई, तब हल्का पटवारी ने अपीलाधीन आराजी मे अपीलान्ट के पति की फौतगी पर विरासती नामान्तरकरण मे अपीलांट का नाम दर्ज नही होने की जानकारी दी। इससे पूर्व अपीलान्ट को आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही होने की कोई जानकारी नही थी। तात्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गूंगा ने गुणेशसिह की फौतगी पर अपीलांट को बिना सुने ही उतरदातागण संख्या 3 से 11 के वालिदो एवं उतरदाता संख्या 12 के नाम अपीलाधीन आराजी मे गलत दर्ज किये जो विधि विरूध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये सम्मन उतरदातागण को वास्ते जवाब तलब किये गए। जिस पर उतरदातागण संख्या 2 ग्राम पंचायत बीसूकला ने अपीलांट स्व. गुणेशसिंह की जाईन्दा पत्नी होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया है। शेष उतरदातागण सं. 1 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। उतरदातागण सं. 3 से 12 न्यायालय मे उपस्थित होकर अपीलाधीन आराजी मे स्व. गुणेशसिंह के हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

मे अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण भरे जाने की लिखित सहमति प्रदान की है। अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत बीसूकला के सरपंच द्वारा जारी वारिश प्रमाण पत्र की प्रति भी अपील के साथ पेश की है व अपीलान्ट ने अपना आधार कार्ड व रहवासी गावं लंगेरा के पास पिण्डलियो का तला की खातेदारी भूमि की नकल पेश की है। जिसमें उनके पति स्व. गुणेशसिह पुत्र सरदारसिह की फौतगी पर उनके हिस्से की भूमि में अपीलान्ट का नाम दर्ज है। अपीलान्ट ने भारत निवार्चन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति पेश की है जिसमे भी अपीलान्ट कमलादेवी पत्नी गुणेशसिंह वाल्दियत के रूप में दर्ज है। हमने अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के सुसंगत तथ्यों एवं उतरदातागण संख्या 3 से 12 द्वारा प्रस्तुत लिखित सहमति के आधार पर अपील को अन्दर म्याद सुमार करते हुए अपीलान्ट अपील स्वीकार की जाकर मौजा बीसूखुर्द के नवसृजित ग्राम प्रतापनगर तहसील शिव के अपीलाधीन आराजी के संबंध मे तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गूंगा द्वारा परित नामान्तरकरण संख्या 79 जो मृतक गुणेशसिह के देहान्त पर उनकी पत्नी एवं प्रथम पंक्ति की वारिश अपीलान्ट जीवित होते हुए भी उनको छोडकर मृतक गुणेशसिंह के द्वितीय पंक्ति के वारिशान मे उनके भाईयो के नाम से भरा गया जो गलत एवं विधि विरूद्व होने से अपास्त किया जाता है।

तहसीलदार शिव को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन आराजी मौजा प्रतापनगर तह0 शिव के खसरा नम्बर 15 व 18 रकबा क्रमशः 103. 03, 46.13 बीघा कुल रकबा 149.16 बीघा भूमि मे मृतक गुणेशसिह पुत्र सरदारसिंह के वारिशों की जांच कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें।

उपखण्ड़ अधिकारी
शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव

आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:39:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: